



सत्यमेव जयते



**कार्यालय प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय  
नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यु सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर-302005  
(सूचना का अधिकार शाखा)**

फा. सं. V(Tech)RTI/26/2019/ 1325

दिनांक: 09.04.2019

सेवा में,

Shri Raja Sekhar L,  
618, Indrani Apartment, Annavarappadu,  
4<sup>th</sup> Line, Ongole, Prakasam Dist.,  
Andhra Pradesh-523001

विषय: - सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत चाही सूचना के क्रम में।

महोदय,

कृपया आपके सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किये आवेदन दिनांक 18.01.2019(केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, सीजीएसटी व उत्पाद शुल्क, जयपुर को प्राप्त 27.03.2019) के संदर्भ में आपके द्वारा वांछित जानकारी निम्न है :-

बिन्दु संख्या 1 के अन्तर्गत वांछित सूचना के सम्बन्ध में लेख है कि जिन कर्मचारियों को DOPT, New Delhi के O.M. No. 51016/2990-Estt.(C) dated 10.09.1993 के तहत Casual Labourers with Temporary Status नियुक्त किया गया है तथा DOPT, New Delhi के O.M. No. 49014/2/2014-Estt.(C) dated 26.02.2016 and O.M. No. 49014/2/Estt.(C) dated 28.07.2016 के अनुसार जो Casual Labourers with Temporary Status के तहत 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को Old Pension के लिए Entitled माना गया है। इस कार्यालय में श्री गोपाल लाल पंवार, एम.टी.एस. को उक्त निर्देशों के तहत नियुक्त किया गया है। अतः उन्हें Old Pension Scheme के तहत माना गया है।

बिन्दु संख्या 2 के अन्तर्गत वांछित सूचना के सम्बन्ध में लेख है कि बिन्दु संख्या 1 से सम्बंधित relevant order इस पत्र के साथ संलग्न है।

"यदि सूचना लेने वाले व्यक्ति को सूचना से असंतुष्टि है तो वह प्रथम अपीलीय प्राधिकरण, श्री बृज लाल मीना, संयुक्त आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, नव राजस्व भवन, स्टेच्यु सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 को इस निर्णय की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं।"

भवदीय,

—sd—

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी,  
केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,  
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. The Web Master/Additional Commissioner, CGST Commissionerate, Jaipur for uploading on the Zonal Website.
2. The Joint Commissioner/CPIO, CGST & CE (Jaipur Zone), Jaipur in reference to letter F. No. CCO(J.Z.)/RTI/165/RL/2018-19/2887 dated 26.03.2019

21/4/19

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी,  
केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,  
जयपुर।

21